220

206

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	a642d2efd1050bbbf789
Receipt Date :	27-Dec-2020 03:24:04 pm
Receipt Amount :	12400/-
Amount In Words :	Twelve Thousands Four Hundred Rupees Only
Token Number :	20200000090493
Office Name :	SRO - Deoghar
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	SARITA DEVI (Vendee)
GRN Number :	2003516869

विभाग द्वारा अपलोड प्रतिबंधित सूची एवं कंप्यूटर में अपलोड डाटा से मिलान किया।

19/2/22

For Office Use :- P.S

निबंधन अधिनियम....1908.....के अधीन और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की धारा.....21......के अधीन भी ग्राह्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के खण्ड.....23.....के अधीन यथावत स्टाम्प सहित या स्टाम्प शुल्क से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

Sale 9,35000 — Madhupur — Area 3.90 dis — Stamp 12400

25050

Fee paid

AD7 - 28050

LL - 8

PR - 3

I. - 5000

M - 150

निबंधन पदाधिकारी

Affidavit enclosed

19/2/2022

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Krishna Datta
Sanjoy D.
[illegible]

बिक्रय पत्र

बिक्रेता :–1.श्रीमती कृष्णा दत्ता, पति स्वर्गीय मधुसुदन दत्ता, धर्म हिन्दू, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन न0 11/ए, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), राष्ट्रीयता :–भारतीय।

2.श्री संजय दत्त, 3.श्री सांतनु कुमार दत्त, दोनों के पिता कमल कुमार दत्त, धर्म हिन्दू, पेशा व्यवसाय, साकिन न0 94, चितरंजन ऐभेन्यु, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), *राष्ट्रीयता :–भारतीय।*

क्रेता :–श्रीमती सरिता देवी, पति श्री रामवतार चौधरी, जाति भूमिहार ब्राहमण, पेशा गृहस्वामीनी, साकिन करमाटांड़, पत्रालय धमनी, थाना मधुपुर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर जिला निबंधन कार्यालय व जिला देवघर, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता :–भारतीय।

लेख्य प्रकार :–बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :–कुल 9,35,000/–नौ लाख पैंतीस हजार रूपये मात्र कायम हुए।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :–निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री देवघर, उसके बाद सबडिविजन मधुपुर, वर्तमान में सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, थाना मधुपुर, तालुक पाथरोल, सामील मौजा पथरचपटी न0 271 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन सेटलमेन्ट प्लाट न0 407 रकवा 6.50 एकड़, अन्दर जमाबंदी न0 59/30, जो गत गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट पर्चा में राय बहादुर तारक नाथ साधु पिता रमानाथ साधु, साकिन कलकत्ता के निवासी के नाम से बसौड़ी दर्ज है।

उपर्युक्त राय बहादुर तारक नाथ साधु ने दिनांक 13/05/1936 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक किता व्यवस्था पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 68, पृष्ठ संख्या 50 से 71 में निबंधित जिसकी संख्या 1739 वर्ष 1936 ईस्वी के द्वारा, अपने कुल सम्पत्ति को अपने वारिसानों के बीच व्यवस्था कर दिये।

उपर्युक्त राय बहादुर तारक नाथ साधु के स्वर्गवास कर जाने उनके पुत्र जलाधि नाथ साधु उक्त व्यवस्था पत्र के अनुसार उक्त सम्पत्ति के मालिक व अधिकारी हुए।

उपर्युक्त जलाधि नाथ साधु ने दिनांक 11/09/1966 ईस्वी में अपने कुल चल व अचल सम्पत्ति के बावत उपर्युक्त बिक्रेता संख्या 1 श्रीमती कृष्णा दत्ता व कल्पना दत्त के हक में वसीयत लिख दिये।

उपर्युक्त जलाधि नाथ साधु दिनांक 16/04/1967 ईस्वी में स्वर्गवास कर जाने पर हाईकोर्ट कलकत्ता के प्रोबेट केश न0 40 वर्ष 1969, सुट न0 7 वर्ष 1971 ईस्वी के द्वारा दिनांक 13/05/1974 ईस्वी के आदेशानुसार उक्त वसीयत का प्रोबेट स्वीकृत किया गया।

उपर्युक्त हम बिक्रेता संख्या 1 श्रीमती कृष्णा दत्ता व कल्पना दत्त उक्त सम्पत्ति के कानूनन मालिक व अधिकारी होकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में नामान्तरण वाद संख्या 68/1986–87 के द्वारा दिनांक 22/10/1986 ईस्वी के आदेशानुसार राजस्व विभाग के पंजी II में अपना नाम दर्ज करवाकर थोका न0 152 के बावत सालाना खजाना आदाय करते हुए उपर्युक्त कल्पना दत्त अपने पीछे दो पुत्र बिकेता संख्या 2 संजय दत्त व बिकेता संख्या 3 सांतनु कुमार दत्त को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। उपर्युक्त हम बिकेता संख्या 2 संजय दत्त व बिकेता संख्या 3 सांतनु कुमार दत्त उक्त सम्पत्ति में उनके हिस्से के मालिक होकर आजतक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हैं।

अभी हम बिक्रेता को अपने–अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रूपये की सख्त जरूरत है, इसलिये रकवा 1,700 वर्गफीट परती जमीन, जिसका पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किये।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 9,35,000/—नौ लाख पैंतीस हजार रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख हम बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 9,35,000/—नौ लाख पैंतीस हजार रुपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिये और आपके दखल कब्जे में दे दिये।

अब आप क्रेता, हम बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें हम बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र–आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति की हम बिक्रेता ही मालिक हैं, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है, व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किये हैं, हर तरह से व हर तरफ से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, हम बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहेगें।

अतएव आज तारीख हम बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिये जो प्रमाण रहे, दिनांक 19.02.2022

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं0 271, जिला देवघर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, थाना मधुपुर, सामिल मौजा पथरचपटी के अन्दर **सर्वेक्षित बसौड़ी** सत्व की **हस्तान्तरणीय** जमीन, गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट प्लाट न0 407 का अंश, रकवा 1,700 वर्गफीट (एक हजार सात सौ वर्गफीट) यानि 3.90 डिसमिल परती जमीन, अन्दर गेन्जर सर्वे सेटलमेन्ट बसौड़ी जमाबंदी न0 59/30, अन्दर थोका न0 152, अन्दर हलका मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 18, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा सब प्लाट न0 "36" का अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किये जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–सब प्लाट न0 36 का अंश।
इधर की माप 50'–00"फीट।

दक्षिण :–सब प्लाट न0 37
इधर की माप 50'–00"फीट।

पुरब :–12'–00" फीट कॉमन पैसेज।
इधर की माप 34'–00"फीट।

पश्चिम :–सब प्लाट न0 35
इधर की माप 34'–00"फीट।

Krishna Dutta
Sanjay Ku.
[illegible]

घोषणा :—उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है, तथा लीज से मुक्त है। उक्त बिकीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिकीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है। उक्त सम्पत्ति सी. बी. आई के जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाही के भागी होवेंगें।

गवाहान

रवीन्द्र कुमार राम
पिता- कामदेव राम
पता- गडिया मधुपुर
देवघर

② महेन्द्र चौधरी
पिता- वासुदेव चौधरी
सा०- चोरमारा, सारठ, देवघर

Krishna Datta
Sanjay Du
SKDutt

छायाचित्र हस्ताक्षर एवं टीप निशान

	Krishna Datta
	Sanjay Du
	SKDutt

Krishna Dutta

Sanjay D.

छायाचित्र हस्ताक्षर एवं टीप निशान

सरिता देवी

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया तथा प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा लिया गया है,

डीड रायटर, देवघर दिनांक

सीताराम पंडित

19.02.2022

L.N. 37(5)1982

UZA. PATHARCHAPTI No. 371, P.S- MADHUPUR, DIST.-
EOGHAR UNDER J.B. No. 59/30, THOKA No. 152,
T OF PLOT No 407, PART OF SUB-PLOT No. 36,
THIN MADHUPUR MUNICIPAL WARD No. 18, AREA:
00 SQFT. MORE OR LESS, SHOWN IN RED COLOUR
ELONGS TO (1) SMT. KRISHNA DATTA W/O LATE
ADUSUDAN DATTA R/O- 11/A, BANKIM CHATTERJEE
STREET, ANUPAMA BUILDING, CHITTARANJAN AVENUE
KOLKATA-700073 & (2) SANJAY DATTA S/O KAMAL
KUMAR DATTA R/O- 94, CHITTARANJAN AVENUE,
KOLKATA.

NOW SOLD TO SARITA DEVI W/O RAMA AWTAR CHOUDHARY R/O- KARMATAND, P.O.-DHAMNI, P.S.-MADHUPUR, DIST.- DEOGHAR.

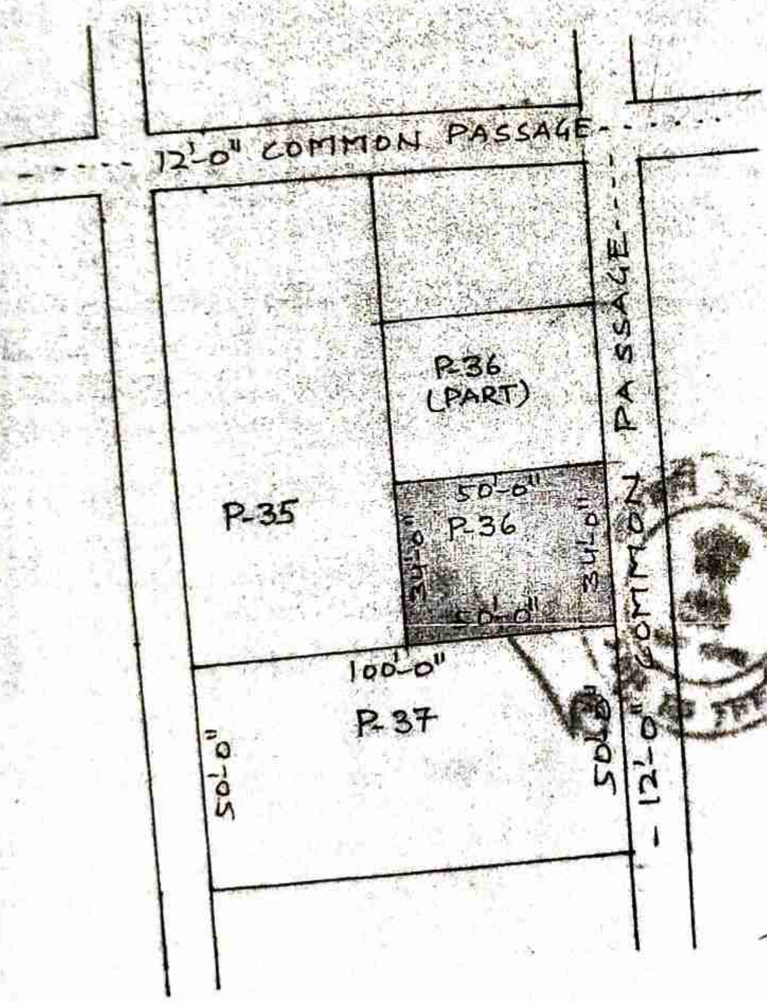

Traced by
P.K. Nandan.
Amin.